बीटी 2 कपास के बारे में मध्यप्रदेश शासन का गैरजिम्मेदाराना रवैया

निलेश देसाई

विगत दिनों म.प्र. विधान सभा में प्रश्नोत्तर काल में एक सवाल उठा ''क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश सरकार ने बीटी–2 (बी.टी.काटन) बीजों के व्यापारिक उपयोग की अनुमति दी है? यदि हां तो प्ररिक्षण की रपट की प्रति उपलब्ध कराएं। इसके जवाब में कृषि मंत्री द्वारा कहा गया ''जी हां भारत सरकार जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रुव्हल कमेटी (जी.ई.ए.सी.) के अनुमोदन से जिन किस्में की व्यवसायिक खेती के लिए अनुमति दी जाती है उन्हीं किस्मों को प्रदेश में बीज विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा ही उनका सीधे मूल्यांकन किया जाता है। प्रदेश शासन को परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया जाता।'' राज्य शासन द्वारा दिया जाने वाला यह जवाब गैर जिम्मेदाराना और आश्चर्यजनक है।

राज्य शासन के इस जवाब की विवेचना के पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बीटी–2 क्या है? बीटी कपास बीजों में बेसीलस थूरिनजीयनसिस (बी.टी.) नामक एक जीन डाला गया था इसका मकसद पौधे को जहरीला बनाकर अमेरिकन सुन्डी (बोलवार्म) से बचाना है। लेकिन जब देखा गया कि बीटी–1 के प्रयोग से बोलवार्म में उक्त जहर को पचाने की क्षमता पैदा हो गई तो इस समस्या के हल के लिए कपास बीज में बेसिलसथूरेनसिस (बीटी) के दो जीन डाल दिए गए ताकि यह अधिक जहरीला बन जाये। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कालान्तर में बोलवार्म में बीटी–2 जीन के प्रति भी नैसर्गिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होगी? ऐसे में कीटों के नियंत्रण के लिए किसानों को कई बार अत्यधिक जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव करना पडेगा। जिससे पर्यावरण व स्वास्थ्य के खतरे के अलावा खेती की लागत भी बढ़ती जायेगी। गौरतलब है कि बीटी–1 कपास अपनाने वाले किसान कई राज्यों में पहले ही आत्महत्या जैसा कदम उठा चुके है। हाल ही में अमेरिका की कारनॉल युनिवसीटी द्वारा चीन में किये गये अध्ययन से भी यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है।

राज्य शासन के जवाब के संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत् हर राज्य में एक स्टेट बायोटकनॉलाजी कॉआर्डिनेशन कमेटी (एस.बी.सी.सी.) होना चाहिये। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा। नौ सदस्यों की इस कमेटी में कृषि विभाग का भी प्रतिनिधित्व होगा। इस कमेटी का काम राज्य में जेनेटिकली मोडीफाईड याने जी एम उत्पादों और परीक्षणों को मोनीटर करना है। इसके अंतर्गत होने वाले दुष्परिणामों को रोकने व संबंधित को दण्डित करने का पूरा अधिकार भी सुरक्षित है। यह कमेटी जिला स्तर पर भी होती है और जिला कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। ऐसी स्थिति में राज्य शासन का यह कहना कि जी.ई.ए.सी. इसका सीधा परीक्षण करती है, एवं हमें रिपोर्ट नहीं देती यह सही नहीं है।

ताज्जुब की बात है कि राज्य में इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनी है। राज्य में सक्रिय बीज स्वराज अभियान गत एक वर्ष से इस प्रकार की समिति की मांग कर रहा है। उसे अभी तक इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। मंत्री महोदय के इस जवाब से जाहिर होता है कि राज्य शासन पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के इस नियम से अनभिज्ञ है। इसलिए वर्ष 2005 में राज्य में बीटी–2 के बड़े स्तर पर मैदानी परीक्षण हुए। बीज स्वराज अभियान द्वारा इन मैदानी परीक्षणों का मोनीटरिंग किया गया, जिसमें पाया गया कि परीक्षण के दौरान किस तरह नियम कानूनों की धज्जियां उडाई गयीं। गोपनीयता रखी गयी है, निगरानी सुस्त रही है, अवैज्ञानिक तरीके काम में लाये गये हैं और कानूनी उल्लंघन हुए। यह सब जैव सुरक्षा नियमों का माखौल उडाने के लिए पर्याप्त है।

(कृ.प.उ.)

परीक्षण के दौरान किसानों को मुफ्त बीज का लालच देकर जमीनी परीक्षणों के लिए तैयार किया गया। यह भी देखा गया कि जिन प्लाटों पर नतीजे खराब निकले, वहां निगरानी फौरन रोक दी गई। ऐसे कई मामले मिले जिसमें किसानों ने प्राप्त मुफ्त बीजों को उगाने में काफी पैसा खर्च किया। मगर उन्हें बदले में नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला और उस नुकसान की भरपाई करने वाला कोई नहीं था। सबसे खतरनाक तथ्य यह पाया गया कि उपज को कपास की अन्य फसलों के साथ मिलाने की अनुमति दी गई एवं फसल के अवशेषों को किसानों ने नष्ट करने की बजाय ईंधन के रूप में उपयोग किया, जिसकी अनुमति जैव सुरक्षा नियम नहीं देता है। यहां तक की कम्पनियों ने अस्वीकृत संकर बीजों व परीक्षण तकनीकों का भ्रामक प्रचार भी किया। परीक्षण स्थल पर किसान मेले आयोजित किये गये जबकि परीक्षण स्तर पर केवल कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों व कृषि कर्मचारियों को ही जाने की बात पर कड़ाई से अमल करना चाहिये था।

इससे स्पष्ट होता है कि हमारे देश में मैदानी परीक्षण कैसे होते है और कृषि के व्यवसायिक उत्पादन के मामले में देश की नियंत्रण व जवाबदेही की प्रणाली कितनी ध्वस्त हो चुकी है।

इस प्रतिवेदन को राज्य व केन्द्र सरकारों को भी प्रस्तुत किया गया है। यहां तक की बीज स्वराज अभियान द्वारा इसकी फिल्म भी बनाई गयी है एवं स्वयं संबंधित किसानों ने मुख्य मंत्री, राज्यपाल, जी.ई.ए.सी. एवं दिल्ली व भोपाल के मीडिया के समक्ष परीक्षण की अनियमितता की जानकारी दी है। इसके बाद भी शासन की अनभिज्ञता विचारणीय है।

बीटी कपास के नकारात्मक अनुभवों की कहानी नई नहीं है। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाव व राजस्थान के बाद गत तीन वर्षो से सम्पूर्ण मालवा–निमाड़ के हजारों किसान बीटी कपास फसल की कम उपज, घटिया उत्पादन एवं कीटनाशक की कमी लाने में असफला की पुष्टि विभिन्न सर्वेक्षणों से हुई है। वर्ष 2005 में हजारों किसानों ने झाबुआ, धार व बडवानी जिला मुख्यालयों के अलावा भोपाल में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था एवं समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से इस आशय की खबरें प्रकाशित होती रही है। इसके बाद 23 जनवरी 2005 को मध्यप्रदेश शासन द्वारा बीटी काटन की शिकायतों की जांच करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों एवं विस्तार अधिकारियों के छः जांच दल बनाए थे। इस आशय की खबर 24 नवम्बर 2005 को नई दूनिया भोपाल द्वारा प्रमुखता से छापी गई थी। इसके बाद इन जांच दलों के प्रतिवेदन को अभी तक जनता के समक्ष नहीं रखा गया है। जबकि अनेक बार इस प्रतिवेदन जनता के समुख रखने की मांग उठती रही है। इसके बाद मध्यप्रदेश विधानसभा में भी इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष में बर्हिगमन किया था। जिसमें बीटी काटन की असफलता से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई थी।

इन सबके बावजूद मध्यप्रदेश शासन ने जी.ई.ए.सी. की अनुमति को आधार बना कर बीटी बीज कम्पनियों को व्यापारिक अनुमति ही प्रदान नहीं की बल्कि जिन शर्तो के आधार पर इन बीजों को व्यापारिक अनुमति प्रदान की गई है, वे बहुत ही लचर एवं गैर जिम्मेदार है। उनमें किसानों को नुकसान होने की दशा में कम्पनी द्वारा मुआवजा दिये जाने की बाध्यता नहीं है।

राज्य शासन को यह ज्ञात होना चाहिए कि कृषि राज्य के क्षेत्राधिकार का विषय है, और प्रदेश के लाखों किसानों का भविष्य इससे जुड़ा है। इस प्रकार के मुद्दे केन्द्र या जी.ई.ए.सी. के भरोसे छोड़ देना उचित नहीं है। ज्ञात हो कि जी.ई.ए.सी. मात्र पर्यावरणीय अनुमति देता है। बीज कानून 1966 के अनुसार राज्य सरकार बीजों के मार्केटिंग की अनुमति देती है। यह अनुमति अपने राज्यों में बीजों की उत्पादकता, अनुकूलता के आधार पर दी जाती है। वर्ष 2005 में आन्ध्रप्रदेश सरकार द्वारा इसी कानून के आधार पर बीटी काटन की कुछ किस्मों को जी.ई.ए.सी. की अनुमति के बावजूद अपने राज्य में अनुमति प्रदान नहीं की थी। इसके अलावा हॉल ही में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपने राज्य को जेनेटिकली मोटीफाईड (जी.एम.) फसलों को अनुमति नहीं देने की घोषणा की गई है। फिर क्या कारण है कि मध्यप्रदेश शासन जी.ई.ए.सी. द्वारा दी गयी पर्यावरणीय अनुमति को आधार बनाकर राज्य में बीटी 2 की बिक्री की अनुमति दे रहा है और अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है?

(लेखक जल बिरादरी मध्यप्रदेश एवं बीज स्वराज अभियान म.प्र. के संयोजक है।)